राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

State Election Commission, Bihar

प्रेस विज्ञप्ति

पटना, 10 अप्रैल 2026

पंचायत निर्वाचन 2026 — प्रपत्र-1 के प्रकाशन की प्रक्रिया प्रारंभ

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा पंचायत आम निर्वाचन, 2026 की तैयारियों के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी के सभी पदों पर आरक्षण निर्धारण के उद्देश्य से निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2011 की जनसंख्या को दर्शाते हुए **प्रपत्र-1 के पुनः प्रकाशन** का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2015 में प्रपत्र-1 में प्रकाशित किया गया था, जिसके आधार पर वर्ष 2016 के पंचायत निर्वाचन के पूर्व आरक्षण का निर्धारण हुआ था। जिसके आधार पर बिहार पंचायत राज अधिनियम,2006 के आलोक में वर्ष 2016 एवं वर्ष 2021 में आम निर्वाचन में आरक्षण लागू रहा।

वर्ष 2021 के उपरांत नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए कतिपय नगर निकाय अधिसूचित किये जाने के कारण पूर्व प्रकाशित निर्वाचन क्षेत्रों एवं उनकी जनसंख्या में परिवर्तन आ गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा नये सिरे से प्रपत्र-1 का प्रकाशन कराने का निर्णय लिया गया है। समस्त कार्य **डिजिटल माध्यम** से संपन्न कराया जाएगा।

निम्न कार्यक्रम के अनुसार प्रपत्र-1 के प्रकाशन का कार्य किया जाना निर्धारित है:-

क्रम	कार्यक्रम	तिथि
क	प्रपत्र-1 का प्रारूप प्रकाशन	27.04.2026
ख	आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि	27.04.2026 से 11.05.2026
ग	आपत्तियों का निष्पादन	27.04.2026 से 14.05.2026
घ	अपील वादों का निष्पादन	18.05.2026 से 22.05.2026
ङ	प्रपत्र-1 का अंतिम प्रकाशन	25.05.2026
च	जिला गजट में प्रकाशन	29.05.2026

किन पदों के लिए तैयार होगा प्रपत्र-1

प्रपत्र-1 निम्नलिखित पदों हेतु तैयार किया जाएगा –

- जिला परिषद सदस्य
- पंचायत समिति सदस्य
- ग्राम पंचायत मुखिया / ग्राम कचहरी सरपंच
- ग्राम पंचायत सदस्य / ग्राम कचहरी पंच

दो श्रेणियों में होगा प्रकाशन

प्रपत्र-1 की तैयारी दो वर्गों में की जाएगी –

प्रथम भाग – जिन क्षेत्रों में वर्ष 2015 के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वहाँ पूर्व प्रकाशित प्रपत्र-1 के अनुसार ही जनसंख्या के आंकड़े, राजस्व ग्राम एवं चौहद्दी की प्रविष्टि की जाएगी। उच्च पदों यथा मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य की जनसंख्या संबद्ध निचले पदों के आंकड़ों के आधार पर स्वतः प्रदर्शित होगी।

द्वितीय भाग – जिन क्षेत्रों में नगर निकाय के गठन के कारण परिवर्तन हुआ है, वहाँ अवशेष वार्डों की प्रविष्टि के साथ-साथ विलोपित वार्डों का विवरण भी पृथक रूप से अंकित किया जाएगा, जिससे स्पष्ट हो सके कि किस राजस्व ग्राम की कितनी जनसंख्या नगर निकाय में सम्मिलित हुई है। दोनों ही भागों में साक्ष्य स्वरूप वर्ष 2015 में प्रकाशित प्रपत्र-1 की पी.डी.एफ. प्रति अपलोड की जाएगी।

प्रकाशन स्थल

प्रारूप प्रपत्र-1 निम्नलिखित स्थानों पर प्रकाशित किया जाएगा –

- **ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति सदस्य पद** हेतु – ग्राम पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय
- **जिला परिषद सदस्य पद** हेतु – प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय एवं जिला पदाधिकारी कार्यालय

उपरोक्त के अलावा आयोग के वेबपेज के **मीडिया कॉर्नर** पर भी प्रकाशन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

17/4/16

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार